न्यायालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।

द्वितीय अपील संख्या– 88/2008–09 अन्तर्गत धारा–331(4) जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।

श्रीमती प्रमिला देवी पत्नी श्री रंगी लाल व शंकर लाल पुत्र रंगी लाल

–अपीलकर्तागण

बनाम

श्री जीत सिंह पुत्र श्री देवीलाल व अन्य

–विपक्षीगण

बावत

आराजी स्थित ग्राम कार्गीग्रान्ट, परगना केन्द्रीय दून, तहसील व जिला देहरादून।

निर्णय

इस द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री जीत सिंह ने श्री सुन्दर सिंह व अपीलकर्ता व अन्य के विरूद्व सक्षम न्यायालय में धारा–229बी व धारा–209 जमीनदारी उन्मूलन व भू–व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वाद वर्ष 2002 में योजित किया। वाद कार्यवाही की तामीली सभी प्रतिपक्षीगण पर हुई। अपीलकर्ता स्वंय न्यायालय में एक बार उपस्थित हुआ परन्तु तत्पश्चात उसके द्वारा वाद में कोई रूचि प्रदर्शित नहीं की गई परन्तु विवादित भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज खातेदार अर्थात श्री सुन्दर सिंह ने वाद का प्रतिरोध किया तथा गवाही समाप्त होने पर जब मुकदमा बहस हेतु नियत था अपीलकर्ता ने वर्ष 2007 में अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वे वाद में जबावदावा दाखिल करना चाहता है। जबावदावा दाखिल करने में लगभग पाँच साल के विलम्ब के संबंध में अपीलकर्ता ने बताया कि सरकारी नौकरी में होने के कारण उसने वकील रखा था और वे यह समझता रहा कि वकील वाद की पैरवी कर रहा होगा परन्तु जब श्री जीत सिंह ने उसे 20 अगस्त, 2007 को बताया कि वे मुकदमा जीतने वाला है तो उसने अपनी वकील से सम्पर्क करने का प्रयास किया तो पता चला कि उनके द्वारा नियुक्त वकील का निधन हो चुका है व इस कारण उसने 21 अगस्त, 2007 को नया वकील नियुक्त करते हुए अवर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि उसे अपना जबावदावा दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जाये जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 को

अस्वीकृत कर दिया गया जिसके विरूद्व अपीलार्थी ने प्रथम अपील अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के न्यायालय में की जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 को निरस्त कर दी गई जिस कारण यह द्वितीय अपील की गई है।

उभय पक्षों के विद्वान वकीलों के तर्क सुने गये। यह निर्विवाद है कि प्रतिपक्षी संख्या–1 द्वारा धारा 229बी व धारा 209 जमीनदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत योजित वाद की जानकारी अपीलकर्ता को थी। यह भी निर्विवाद है कि अपीलकर्ता श्री रंगीलाल कलेक्ट्रेट, देहरादून में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत था। यह भी निर्विवाद है कि विवादित भूमि प्रतिपक्षी संख्या–2 श्री सुन्दर सिंह के नाम दर्ज है। यह भी निर्विवाद है कि मूल वाद में गवाही पूर्ण हो चुकी है व वाद में पक्षकारों के तर्क सुनने के बाद मुकदमा निर्णय हेतु परिपक्व है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यद्यपि अपीलकर्ता का कथन है कि उसने वकील नियुक्त किया था परन्तु श्री रंगीलाल की ओर से किसी भी वकील का 21 अगस्त, 2007 से पूर्व कोई वकालतनामा दर्ज नहीं है।

द्वितीय अपील का प्राविधान जमीनदारी उन्मूलन व भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 331 की उपधारा–4 में उल्लिखित है। इसके अनुसार द्वितीय अपील का आधार वे ही हो सकता है जो सिविल प्रकिया संहिता के धारा 100 में वर्णित हैं। सिविल प्रकिया संहिता की धारा 100 में स्पष्ट किया गया है कि द्वितीय अपील तब ही ग्राह्य है जब कि न्यायालय को यह संतोष हो जाय कि विधि का कोई महत्वपूर्ण बिन्दु मामले में निहित है।

प्रस्तुत मामले में मात्र यह विधिक बिन्दु निहित है कि क्या सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 में दी गई व्यवस्था की उपेक्षा अधिवक्ता की त्रुटि के कारण हुई व क्या यह प्राविधान मुकदमा दाखिल होने के लगभग पाँच वर्ष बाद जवाबदावा दाखिल करने में बाधक है? सिविल प्रकिया संहिता में जबावदावा दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय निर्धारित है व पर्याप्त कारणों के आधार पर न्यायालय जबावदावा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दे सकती है परन्तु यह समय 90 दिन से अधिक नहीं हो सकता है। प्रस्तुत मामले में इस निर्धारित अवधि से कहीं अधिक समय वाद जबावदावा दाखिल करने की पहल की गई है। अपीलकर्ता की ओर

से देरी का पूरा बोझ अधिवक्ता की त्रुटि पर डाला गया है परन्तु अधिवक्ता नियुक्त किए जाने का अपीलकर्ता के कथन के अलावा कोई प्रमाण वाद पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलकर्ता श्री रंगीलाल कलेक्ट्रेट, देहरादून का कर्मचारी था और इस कारण यह माना जा सकता है कि वे देहरादून में ही रहता था। विवादित भूमि भी देहरादून में स्थित है। अपीलकर्ता द्वारा मूल वाद में पक्षकार होते हुए भी अपने हित में वाद की प्रगति की जानकारी पाँच साल की अवधि में प्राप्त न करना उसकी अपनी त्रुटि व भूल है। यदि वे मुकदमे में मामूली रूचि भी रखता तो उसे मालूम हो जाता कि उसकी ओर से मुकदमें में जबावदावा नहीं लगा है। अपीलकर्ता द्वारा मुकदमे में अधिवक्ता नियुक्त करने का प्रमाण वाद पत्रावली पर नहीं है परन्तु यदि यह भी मान लिया जाये कि अपीलकर्ता द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किया गया था तब भी समय–समय वाद में हुई प्रगति की अधिकारिक जानकारी प्राप्त करना अपीलकर्ता से अपेक्षित थी व यदि अपीलकर्ता ने उसके विरूद्व योजित वाद में कोई रूचि प्रदर्शित नहीं की तो इस उपेक्षा के परिणामों के लिए वे ही उत्तरदायी है।

अपीलकर्ता की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकियात्मक विधान न्याय दिलाने में बाधक नहीं होना चाहिए परन्तु प्रस्तुत मामले में अपीलकर्ता की उपेक्षा के कारण उसका पक्ष अवर न्यायालय के सामने नहीं आया है। दूसरी ओर प्रतिपक्षी संख्या–1 द्वारा योजित वाद में उसे न्याय प्रदान करने में विलम्ब हो रहा है। यदि वाद अपीलकर्ता के विरूद्व भी निर्णीत हो जाता है तो भी स्मरण रखना होगा कि विवादित भूमि पर उसका नहीं बल्कि प्रतिपक्षी संख्या–2 का नाम खारिज होगा और दोनों को ही अपील दायर करने का अवसर मिलेगा।

अतः यह द्वितीय अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

देहरादून,
31 अगस्त, 2013

(सुनील कुमार मुदगल)
अध्यक्ष।